

पत्रांकनिविदा

दिनांक / / 2024

प्रेषक,

राज कुमार एम०, भा० व० से०
वन प्रमण्डल पदाधिकारी,
नालन्दा वन प्रमण्डल, बिहारशरीफ।

सेवा में,

निदेशक,
सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग,
बिहार, पटना।

विषय : नालन्दा वन प्रमण्डल, बिहारशरीफ के राजगीर प्रक्षेत्र अंतर्गत रत्नागिरि पहाड़ की तलहट्टी में विश्वशांति स्तूप एवं गृद्धकुट पर्वत जाने वाले पर्यटकों की सुविधा हेतु राजगीर रज्जू मार्ग के पास नव-निर्मित इंटीग्रेटेड भवन में अवस्थित फुडकोट संचालन हेतु अल्पकालीन निविदा सं० 16/2024-25 की सूचना प्रकाशन के सम्बन्ध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक संदर्भ में सूचित करना है कि नालन्दा वन प्रमण्डल, बिहारशरीफ के राजगीर प्रक्षेत्र अंतर्गत रत्नागिरि पहाड़ की तलहट्टी में विश्वशांति स्तूप एवं गृद्धकुट पर्वत जाने वाले पर्यटकों की सुविधा हेतु राजगीर रज्जू मार्ग के पास नव-निर्मित इंटीग्रेटेड भवन में अवस्थित फुड कोट संचालन हेतु अल्पकालीन निविदा (निविदा संख्या 16/2024-25) आमंत्रित की गयी है। उक्त निविदा की सूचना की एक प्रति इस पत्र के साथ (हार्ड एवं सॉफ्ट कॉपी) संलग्न कर आवश्यक कार्रवाई हेतु भेजी जा रही है।

अनुरोध है कि बिहार के प्रमुख समाचार पत्रों में उक्त सूचना प्रकाशित करने की कृपा की जाय।

अनुलग्नक : यथोक्त।

विश्वासभाजन,

ह०/-

वन प्रमण्डल पदाधिकारी
नालन्दा वन प्रमण्डल, बिहारशरीफ।

ज्ञापांक 4211...../प्र०लि०, दिनांक 16...../12...../2024

प्रतिलिपि : सरकार के उप सचिव, बिहार सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, पटना-15 को सूचना प्रकाशन सामग्री की सॉफ्ट एवं हार्ड प्रति के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु समर्पित।

प्रतिलिपि : वन संरक्षक, पटना अंचल, पटना की सेवा में अनुलग्नक की प्रति सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु समर्पित।

अनुलग्नक : यथोक्त।

वन प्रमण्डल पदाधिकारी
नालन्दा वन प्रमण्डल, बिहारशरीफ।

बिहार सरकार
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग
कार्यालय: वन प्रमंडल पदाधिकारी, नालन्दा वन प्रमंडल, बिहारशरीफ
अल्पकालीन निविदा सूचना सं०-16/2024-25

1.	विभाग का नाम	पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, बिहार।
2.	विज्ञापन दाता का नाम पता	वन प्रमंडल पदाधिकारी, नालन्दा वन प्रमंडल, बिहारशरीफ
3.	परिमाण बिक्री के आरंभ की तिथि	18.12.2024 के पूर्वाह्न 10.00 बजे से
4.	परिमाण विपत्र की बिक्री की अंतिम तिथि एवं समय	दिनांक 07.01.2025 को अपराह्न 05.00 बजे तक कार्य अवधि में।
5.	निविदा प्राप्ति की तिथि एवं समय	08.01.2025 को पूर्वाह्न 11.30 बजे
6.	निविदा खोलने की तिथि एवं समय	08.01.2025 को अपराह्न 02.00 बजे

नालन्दा वन प्रमंडल, बिहारशरीफ के राजगीर प्रक्षेत्र अंतर्गत रत्नागिरि पहाड़ की तलहट्टी में विश्वशांति स्तूप एवं गृद्धकुट पर्वत जाने वाले पर्यटकों की सुविधा हेतु राजगीर रज्जू मार्ग के पास नव-निर्मित इंटीग्रेटेड भवन में अवस्थित कुल 02 फुडकोट के संचालन हेतु दिनांक-18.12.2024 से निविदा आमंत्रित की जाती है :

क्र० सं०	निविदा का विवरण	अग्रधन की राशि	निविदा प्रपत्र का मूल्य
	नालन्दा वन प्रमंडल, बिहारशरीफ के राजगीर प्रक्षेत्र अंतर्गत रत्नागिरि पहाड़ की तलहट्टी में राजगीर रज्जू मार्ग के पास नव-निर्मित इंटीग्रेटेड भवन में अवस्थित कुल 02 फुडकोट अवस्थित है, के संचालन हेतु।		
1	Food Court No. 03/IBFC (Size 2.75 X 6.50 meter)	रु. 15000 /—	रु. 600 /—
2	Food Court No. 04/IBFC (Size 2.75 X 6.50 meter)	रु. 15000 /—	रु. 600 /—

नालन्दा वन प्रमंडल, बिहारशरीफ के राजगीर प्रक्षेत्र अंतर्गत रत्नागिरि पहाड़ की तलहट्टी में विश्वशांति स्तूप एवं गृद्धकुट पर्वत जाने वाले पर्यटकों की सुविधा हेतु राजगीर रज्जू मार्ग के पास नव-निर्मित इंटीग्रेटेड भवन में पर्यटकों के जलपान हेतु खाद्य सामग्रियों की बिक्री करने के लिये इंटीग्रेटेड भवन में अवस्थित कुल 02 फुडकोट (Food Court) प्रत्येक फुडकोट का क्षेत्रफल लगभग 2.75 X 6.50 मीटर है, के संचालन हेतु इस कार्य में अनुभवी फार्मों/रेस्तराँ Kiosk संचालकों से प्रत्येक फुडकोट के लिए अलग-अलग सील बन्द निविदा विहित प्रपत्र में दिनांक 08.01.2025 को पूर्वाह्न 11.30 बजे तक वन प्रमंडल पदाधिकारी, नालन्दा वन प्रमंडल, बिहारशरीफ के कार्यालय कक्ष में आमंत्रित की जाती है। निविदाओं के लिये दिनांक-07.01.2025 को अपराह्न 05.00 बजे तक अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय से कार्य अवधि में या विभागीय वेबसाईट <https://state.bihar.gov.in/forest> के माध्यम से रु० 600 /— (छः सौ रुपये) मात्र का भुगतान कर विहित प्रपत्र (निविदा फार्म) प्राप्त किये जा सकते हैं। निविदा के साथ अग्रधन के रूप में फुडकोट संचालन हेतु रुपये 15000 /— का बैंक ड्राफ्ट, तथा विभागीय वेबसाईट से निविदा फार्म प्राप्त करने के परिस्थिति में 600 /— (छः सौ रुपये) का बैंक ड्राफ्ट Divisional Forest Officer, Nalanda Forest Division, Biharsharif / वन प्रमंडल पदाधिकारी, नालन्दा वन प्रमंडल, बिहारशरीफ के पदनाम से बिहारशरीफ स्थित किसी राष्ट्रीयकृत बैंक से भुगतान हो, संलग्न करना अनिवार्य होगा। फुडकोट संचालन के लिये निविदादाता को 'तकनीकी निविदा' तथा 'वित्तीय निविदा' दो



अलग-अलग लिफाफों में डालकर एवं सीलबंद कर दोनों लिफाफों को एक अलग लिफाफे में डालकर सीलबंद कर समर्पित करना होगा। सफल निविदादाता का चयन अधिकतम दर के आधार पर किया जायेगा एवं सफल निविदादाता को फुडकोट तीन वर्ष के लिए संचालन हेतु आवंटित की जायेगी।

अधिक जानकारी प्राप्त करने या निविदा प्रपत्र के क्रय हेतु वन प्रमंडल पदाधिकारी, नालन्दा वन प्रमंडल, बिहारशरीफ के कार्यालय से अथवा <https://state.bihar.gov.in/prdbihar/CitizenHome.html> पर देखा जा सकता है।



वन प्रमंडल पदाधिकारी,
नालन्दा वन प्रमंडल, बिहारशरीफ।

नालन्दा वन प्रमंडल, बिहारशरीफ के राजगीर प्रक्षेत्र अंतर्गत रत्नागिरि पहाड़ की तलहट्टी में विश्वशांति स्तूप एवं गृद्धकुट पर्वत जाने वाले पर्यटकों की सुविधा हेतु राजगीर रज्जू मार्ग के पास नव-निर्मित इंटीग्रेटेड भवन में अवस्थित कुल 06 फुडकोट के संचालन हेतु निविदा की शर्तें :-

नालन्दा वन प्रमंडल, बिहारशरीफ के राजगीर प्रक्षेत्र अंतर्गत रत्नागिरि पहाड़ की तलहट्टी में राजगीर रज्जू मार्ग के पास नव-निर्मित इंटीग्रेटेड भवन में विश्वशांति स्तूप एवं गृद्धकुट पर्वत जाने वाले पर्यटकों के जलपान हेतु खाद्य सामग्रियों की बिक्री करने के लिये इंटीग्रेटेड भवन में अवस्थित फुडकोट (जो जहाँ है, जिस रूप में है) के संचालन के लिए इस कार्य में अनुभवी फर्मों/रेस्तराँ/Kiosk संचालकों से सीलबंद निविदा विहित प्रपत्र में 08.01.2025 को पूर्वाह्न 11.30 बजे तक वन प्रमंडल पदाधिकारी, नालन्दा वन प्रमंडल, बिहारशरीफ के कार्यालय कक्ष में आमंत्रित की जाती है। निविदा संख्या 16/2024-25 का निविदा प्रपत्र वन प्रमंडल पदाधिकारी, नालन्दा वन प्रमंडल, बिहारशरीफ के कार्यालय से निर्धारित तिथि तक कार्यालय अवधि में प्राप्त की जा सकती है। निविदा संख्या 16/2024-25 की तकनीकी एवं वित्तीय निविदायें 08.01.2025 को अपराह्न 02.00 बजे अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में, सभी निविदाओं को निविदादाता या उनके द्वारा प्राधिकृत प्रतिनिधियों की उपस्थिति में निविदा समिति के समक्ष खोली जायेगी।

1. निविदादाता द्वारा फुडकोट संचालन हेतु निविदा (प्रत्येक फुडकोट के लिए अलग-अलग निविदा) समर्पित की जायेगी। निविदादाता 'तकनीकी निविदा' तथा 'वित्तीय निविदा' दो अलग-अलग लिफाफों में डालकर एवं सीलबंद कर दोनों लिफाफों को एक अलग लिफाफे में डालकर सीलबंद करेंगे। तकनीकी निविदा के लिफाफे पर "तकनीकी निविदा" तथा उस पर अपना नाम-पता एवं निविदा का विज्ञापन संख्या 16/2024-25 तथा फुडकोट संख्या अंकित करेंगे। उसी प्रकार 'वित्तीय निविदा' के लिफाफे पर "वित्तीय निविदा" लिखकर अपना नाम-पता एवं निविदा का विज्ञापन संख्या 16/2024-25 तथा फुडकोट संख्या अंकित करेंगे। मुख्य लिफाफा जिसके अन्दर तकनीकी निविदा तथा वित्तीय निविदा के दोनों सील बंद लिफाफे रहेंगे पर "फुडकोट" संचालन के लिए निविदा" एवं निविदा का विज्ञापन संख्या अंकित कर फुडकोट संख्या एवं अपना नाम-पता अंकित करेंगे। तकनीकी निविदा में तकनीकी निविदा फार्म, निविदा शर्तों के अनुपालन हेतु वांछित स्वहस्ताक्षरित दस्तावेज, निविदा प्रपत्र क्रय का मनी रसीद, तकनीकी निविदा के साथ प्रस्तुत करेंगे तथा अपना नाम एवं पता अंकित किया जाएगा।
2. निविदादाता को प्रत्येक फुडकोट के लिए अलग-अलग फार्म क्रय करना होगा तथा निविदा में निहित सभी शर्तों का अनुपालन करते हुए निविदादाता, निविदा में भाग ले सकेंगे। निविदा शर्तों का अनुपालन नहीं पाये जाने पर बिना किसी पृच्छा के उनके निविदा को अस्वीकृत कर दिया जायेगा।
3. निविदा के साथ अग्रधन के रूप में फुडकोट संचालन हेतु रु० 15000/- (पंद्रह हजार रुपये) मात्र का बैंक ड्राफ्ट, जो (Divisional Forest Officer, Nalanda Forest Division, Biharsharif)/वन प्रमंडल पदाधिकारी, नालन्दा वन प्रमंडल, बिहारशरीफ के पदनाम से बिहारशरीफ स्थित किसी राष्ट्रीयकृत बैंक से भुगतये हो, संलग्न करना अनिवार्य होगा। बिना अग्रधन के प्राप्त होने वाले तकनीकी निविदा को अस्वीकृत कर दिया जायेगा।
4. विलम्ब से या अन्य माध्यम से अथवा सशर्त निविदा पर विचार नहीं किया जाएगा।
5. निविदादाता को निविदा में भाग लेने हेतु भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (FSSAI) द्वारा होटल/रेस्टोरेंट श्रेणी के राज्य स्तर से प्राप्त अनुज्ञप्ति (स्टेट लाईसेंस) प्रमाण पत्र निविदा में संलग्न करना अनिवार्य होगा तथा रेस्टोरेन्ट या फुडकोट चलाने संबंधी कम-से-कम दो वर्ष का अनुभव होना अनिवार्य होगा, जिसके लिए संबंधित कार्यालय/प्रतिष्ठान से संतोषप्रद रेस्टोरेन्ट/फुडकोट चलाने का प्रमाण-पत्र संलग्न करना होगा।
6. आयकरदाता होने का प्रमाण-पत्र (पैन कार्ड) एवं विगत तीन वर्षों यथा (Assesment Year 2021-22, 2022-23 एवं 2023-2024) का वार्षिक रिटर्न की छाया प्रति संलग्न करना होगा।



7. निविदादाता को जी०एस०टी० के अन्तर्गत निबंधित होना चाहिए। निबंधन प्रमाण पत्र एवं अद्यतन **एक तिमाही (तीन माह)** की अद्यतन रिटर्न की स्व-अभिप्रमाणित छाया प्रति संलग्न करना होगा।
8. निविदादाता का वार्षिक टर्न-ओवर कम से कम **रु. 20,00,000/- (बीस लाख रुपये)** होना चाहिए। निविदादाता को विगत दो वर्षों यथा **2021-22 एवं 2022-23** के वार्षिक टर्न-ओवर का सत्यापित अभिलेख तकनीकी निविदा के प्रपत्र के साथ संलग्न करना होगा।
9. निविदादाता द्वारा निविदा में किये जाने वाले हस्ताक्षर को किसी राजपत्रित पदाधिकारी द्वारा अभिप्रमाणित किये गये हस्ताक्षर का नमूना आवश्यक रूप से संलग्न करना होगा।
10. सफल निविदादाता को **रु० 1000/- (एक हजार रुपये मात्र)** मूल्य के नन-जुडिसियल (Non-Judicial) स्टाम्प जमा कर एकरारनामा करना होगा जिसमें फुडकोट संचालन की सभी शर्तों का उल्लेख होगा।
11. सरकारी/गैर सरकारी संस्थान के काली सूची में निविदादाता का नाम दर्ज नहीं होने से संबंधित घोषणा-पत्र नोटरी से प्राप्त कर संलग्न करना अनिवार्य होगा।
12. सरकार के निर्देश के अनुसार निविदा में भाग लेने हेतु निविदादाता/आवेदक द्वारा चरित्र प्रमाण-पत्र संलग्न किया जाना अनिवार्य होगा।
13. वित्तीय निविदा का मूल्यांकन फुडकोट के लिए निविदादाताओं द्वारा अर्पित दर, प्रतिमाह किराया दर में, अधिकतम अर्पित दर के आधार पर तय किया जाएगा।
14. निविदा पर निविदा समिति द्वारा लिये गये निर्णय के पश्चात् सफल निविदादाता द्वारा बेचे जाने वाले खाद्य सामाग्रियों की विवरणी (दर सहित) को वन प्रमंडल पदाधिकारी कार्यालय में समर्पित किया जायेगा। **सामाग्रियों के दर पर अनुमति के उपरांत** सफल निविदादाता द्वारा निर्धारित तिथि से फुडकोट का संचालन शीघ्र प्रारंभ करना होगा। बिना किसी कारण के सफल निविदादाता द्वारा फुडकोट संचालन प्रारंभ करने में विलंब किये जाने की स्थिति में निविदादाता द्वारा अर्पित प्रतिभूति राशि जप्त कर निविदादाता को कालीसूची में डाल दिया जायेगा और द्वितीय निविदादाता से Food Court संचालन कराने की कार्रवाई की जायेगी।
15. **प्रतिभूति जमा राशि :-** सफल निविदादाता को प्रतिभूति राशि के रूप में 3 (तीन) माह का अग्रिम किराया किसी राष्ट्रीयकृत बैंक से निर्गत डी.सी.आर./एफ.डी.आर./बैंक गारण्टी को प्रतिभूति राशि के रूप में वन प्रमंडल पदाधिकारी, नालन्दा वन प्रमंडल बिहारशरीफ के पदनाम से Pledged कराकर जमा करना होगा। यदि सफल निविदादाता शर्तों के अनुकूल सफलतापूर्वक एकरारनामा की अवधि तक कार्य करते हैं तो उन्हें एकरारनामा अवधि समाप्त होने पर जमा प्रतिभूति राशि वापस कर दिया जायेगा। यदि एकरारनामा अवधि में शर्तों का उल्लंघन किया जाता है तो, निविदादाता द्वारा जमा प्रतिभूति राशि को राज्यसात कर दिया जाएगा।
16. सफल निविदाकर्ता को प्रत्येक माह के **5 (पाँच) वीं तारीख तक अग्रिम मासिक किराया** जमा करना होगा। 5 वीं (पाँच) तारीख तक निर्धारित मासिक किराया जमा नहीं करने की स्थिति में मासिक किराया का 3% (तीन प्रतिशत) वृद्धयात्मक शुल्क जोड़कर भुगतान करना होगा। लगातार तीन माह तक किराया (3% वृद्धयात्मक शुल्क सहित) जमा नहीं करने पर जमानत की प्रतिभूति राशि राज्यसात करते हुये उनके निविदा को रद्द कर उन्हें काली सूची में डाल दिया जायेगा, साथ ही साथ फुडकोट में रखे सारे सामानों को भी जप्त कर लिया जायेगा। शेष राशि की वसूली के लिए उनपर विधिवत् कार्रवाई की जायेगी। किसी भी समय निविदा रद्द करने का अधिकार वन प्रमंडल पदाधिकारी, नालन्दा वन प्रमंडल, बिहारशरीफ को सुरक्षित होगा।
17. सफल निविदादाता को फुडकोट **तीन वर्षों** के लिए संचालन हेतु आवंटित की जायेगी। तदोपरांत उनका कार्य संतोषजनक होने की स्थिति में अगले **दो वर्षों** के लिए निविदादाता द्वारा अर्पित अधिकतम दर प्रतिमाह किराया के 10 प्रतिशत वृद्धि के साथ (प्रत्येक वर्ष) अवधि विस्तार किये जाने पर विचार किया जायेगा।
18. इंटीग्रेटेड भवन में अवस्थित फुडकोट (जो जहाँ है, जिस रूप में है) के संचालन करना होगा। किसी प्रकार का बदलाव से पूर्व वन प्रमंडल पदाधिकारी, नालन्दा से अनुमति अनिवार्य होगी। बिना अनुमति प्राप्त किये संचालक द्वारा अगर किसी प्रकार का बदलाव किया जाता है तो तत्काल प्रभाव से उनके निविदा को निरस्त कर दिया जायेगा एवं फुडकोट में अवस्थित सभी सामग्रियों एवं उनके द्वारा जमा की गयी प्रतिभूति राशि एवं जमानत की राशि को जप्त करते हुए बिना किसी पृच्छा के राज्यसात की कार्रवाई कर दी जायेगी।



19. निविदादाता द्वारा फुडकोट संचालन कार्य संतोषजनक नहीं होने की स्थिति/पर्यटकों द्वारा खाद्य सामग्रियों के विरुद्ध/क्रम में शिकायत प्राप्त होने पर समय अवधि (फुडकोट संचालन हेतु किये गये एकरारनामा की अवधि) के बीच में ही उनके निविदा को निरस्त करने का अधिकार वन प्रमंडल पदाधिकारी, नालन्दा को सुरक्षित होगी।
20. विद्युत बिल का भुगतान—सफल निविदादाता को किराया के साथ—साथ विद्युत उपयोग का भुगतान भी अलग से देना होगा। विद्युत बिल का भुगतान मीटर रीडिंग के अनुसार व्यवसायिक दर पर होगा।
21. खाद्य सामग्रियों की बिक्री संबंधित फुडकोट परिसर तक ही सीमित रहेगी। खाद्य सामग्रियों की बिक्री का समय **इंटीग्रेटेड भवन खुलने और बंद होने** के बीच रहेगा। **इंटीग्रेटेड भवन** को बन्द होने के बाद एवं सप्ताहिक बन्दी के दिन किसी प्रकार की सामग्री की बिक्री नहीं की जाएगी। अगर **इंटीग्रेटेड भवन** को अन्य दिन भी बन्द रखा जाता है, तो उस दिन भी फुडकोट का संचालन बन्द रखना होगा जिसके लिए नालन्दा वन प्रमंडल द्वारा किसी प्रकार की छुट नहीं दी जाएगी। सफलतम निविदादाता को फुडकोट संचालन हेतु खाद्य सामग्री फुडकोट **इंटीग्रेटेड भवन** ले जाने के लिए पर्यटकों की सुविधा के अनुसार एक निश्चित समय निर्धारित किया जाएगा, उसी समय में सामग्री फुडकोट में लाया जा सकता है।
22. **निविदा रद्दीकरण** :— सफल निविदादाता द्वारा एकरारनामा की शर्तों का पालन नहीं करने की स्थिति, फुडकोट संचालन एवं खाद्य सामग्रियों की गुणवत्ता एवं मात्रा में कमी या दर्शकों से अधिक मूल्य की वसूली से संबंधित किसी प्रकार की शिकायत अथवा फुडकोट संचालन से **इंटीग्रेटेड भवन** पर प्रतिकूल प्रभाव की सम्भावना होने पर वन प्रमंडल पदाधिकारी, नालन्दा वन प्रमंडल बिहारशरीफ किसी भी समय नोटिस देकर निविदा रद्द करने की कार्रवाई कर सकते हैं। निविदा रद्द होने की स्थिति में सफल निविदादाता को किसी प्रकार का क्षतिपूरक राशि विभाग/सरकार द्वारा वहन नहीं किया जायेगा।
23. फुडकोट में किसी प्रकार का **मांसाहारी** खाद्य पदार्थ एवं **मादक पदार्थ** की बिक्री पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगी। फुडकोट संचालक द्वारा किसी प्रकार का निषिद्ध पेय एवं खाद्य पदार्थ को न तो रखा जायेगा और न ही बेचा जायेगा। बेचे जाने वाले किसी भी खाद्य पदार्थ को सूची से हटाने/जोड़ने का अधिकार वन प्रमंडल पदाधिकारी, नालन्दा वन प्रमंडल बिहारशरीफ को होगा।
24. **इंटीग्रेटेड भवन** तथा खाद्य सामग्रियों से संबंधित, समय—समय पर निर्गत सरकारी आदेशों का अनुपालन, निविदादाता के लिए अनिवार्य होगा।
25. फुडकोट के आस—पास की जगह को हमेशा साफ—सुथरा रखना होगा। फुडकोट संचालक को बचा हुआ एवं अपशिष्ट/उच्छिष्ट पदार्थ का निपटारा करना होगा। अपशिष्ट/उच्छिष्ट पदार्थ को किसी भी परिस्थिति में एकीकृत भवन तथा वनक्षेत्रों के अन्दर निपटारा नहीं किया जायेगा।
26. फुडकोट में खाद्य सामग्रियों को बनाने के लिए एलपीजी गैस स्टोव का उपयोग किया जायेगा। लकड़ी आदि का उपयोग पूर्णतः वर्जित होगा। किसी भी प्रकार के बदलाव की स्थिति में वन प्रमंडल पदाधिकारी, नालन्दा वन प्रमंडल बिहारशरीफ से अनुमति आवश्यक होगा।
27. फुडकोट संचालक द्वारा बेचे जाने वाले सभी सीलबन्द सामग्रियों को निर्धारित एम.आर.पी. पर ही बेचना होगा। सामग्रियों को तैयार करने में गैस स्टोव/अन्य प्रदुषण मुक्त Improvised स्टोव का उपयोग वन प्रमंडल पदाधिकारी, नालन्दा वन प्रमंडल बिहारशरीफ के अनुमति से किया जा सकेगा।
28. इंटीग्रेटेड भवन में अवस्थित फुडकोट राजगीर वन्यप्राणी आश्रयणी क्षेत्र में अवस्थित है। अतएव फुडकोट संचालक, उनके अधिनस्थ काम करने वाले कर्मियों के लिए विभाग से अनुमोदित वर्दी के साथ रखना सुनिश्चित करेंगे तथा संबंधित कर्मियों के लिए वनों के क्षेत्र पदाधिकारी, राजगीर से वन्यप्राणी आश्रयणी में प्रवेश से संबंधित पहचान—पत्र निर्गत कराना सुनिश्चित करेंगे। किसी भी परिस्थिति में बिना पहचान—पत्र एवं वर्दी के वन्यप्राणी आश्रयणी में प्रवेश नहीं दिया जायेगा। साथ ही साथ फुडकोट संचालन यह सुनिश्चित करेंगे कि उनके अधिनस्थ कर्मी वन्यप्राणी आश्रयणी क्षेत्र में फुडकोट के अलावे यत्र—तत्र नहीं जायेंगे।
29. फुडकोट में किसी प्रकार का शोर—शराबा, हल्ला गुल्ला एवं संगीत प्रतिबंधित रहेगा तथा पार्क/सफारी परिसर में धूम्रपान एवं प्लास्टिक बैग का उपयोग पूरी तरह निषिद्ध रहेगा।



30. निविदादाता/संचालक द्वारा किसी भी शर्त का उल्लंघन एवं लापरवाही बरतने पर प्रत्येक उल्लंघन/लापरवाही पर दस हजार रुपये का अर्थदण्ड लगाने का अधिकार वन प्रमंडल पदाधिकारी को होगा।
31. फुडकोट में अन्य किसी प्रकार की सुविधा वन प्रमंडल पदाधिकारी के अनुमति से ही उपलब्ध करायी जा सकेगी।
32. किसी भी निविदा को, किसी भी समय स्वीकृत या अस्वीकृत करने का पूर्ण अधिकार वन प्रमंडल पदाधिकारी, नालन्दा वन प्रमंडल बिहारशरीफ को सुरक्षित रहेगा।
33. निविदादाता द्वारा निविदा में अर्पित दर अगर आर०पी० दर से कम होता है तो निविदादाता द्वारा समर्पित दर मान्य नहीं होगा एवं उन्हें आर०पी० दर पर फुडकोट का संचालन करना होगा।
34. एक ही फुडकोट के लिए, एक से अधिक निविदादाता द्वारा अर्पित दर सामान्य/बराबर होने की स्थिति में उक्त फुडकोट हेतु निविदादाता द्वारा अर्पित दर को अमान्य मानते हुए उसी समय निलामी के आधार पर निर्णय लिया जायेगा तथा अधिकतम राशि देने वाले निविदादाता को फुडकोट संचालन हेतु हस्तगत करने की कार्यवाही की जायेगी।
35. निविदा प्रपत्र में निविदादाता इस बात को प्रमाणित करेंगे कि उन्होंने निविदा के सभी शर्तों को पढ़ा/पढ़ावाया और समझा है तथा वे सभी शर्तों को स्वीकार करते हुए सभी पृष्ठों पर अपना हस्ताक्षर (मुहर सहित) करेंगे।
36. किसी भी विवाद का न्याय क्षेत्र बिहारशरीफ होगा।



वन प्रमंडल पदाधिकारी
नालन्दा वन प्रमंडल, बिहारशरीफ।

इंटीग्रेटेड भवन में अवस्थित फुडकोट संचालन हेतु अति-अल्पकालीन निविदा सूचना सं०-16/2024-25 का तकनीकी निविदा फार्म

1 निविदादाता / फर्म / रेस्तराँ संचालक का नाम एवं पूरा पता (ई-मेल, दूरभाष एवं मोबाईल नं० के साथ)

:

.....

2 निविदादाता / फर्म / रेस्तराँ संचालक के प्रतिष्ठान का नाम एवं पूरा पता (ई-मेल, दूरभाष संख्या के साथ) :

.....

.....

क्र	तकनीकी सूचना	निविदाकर्ता द्वारा समर्पित सूचना	पृष्ठ संख्या
1	निविदा प्रपत्र क्रय के मनी रसीद की स्वःहस्ताक्षरित छायाप्रति या मूल्य- रसीद संलग्न करेंगे।		
2	Divisional Forest Officer, Nalanda Forest Division, Biharsharif/ वन प्रमंडल पदाधिकारी, नालन्दा वन प्रमंडल, बिहारशरीफ के पदनाम से रु० 15000/- (पंद्रह हजार रुपये मात्र) के अग्रधन राशि का राष्ट्रीयकृत बैंक का ड्राफ्ट।		
3	FSSAI से राज्य स्तर से प्राप्त अनुज्ञप्ति प्रमाण पत्र की स्वःहस्ताक्षरित छायाप्रति।		
4	G.S.T से निबंधन एवं अद्यतन एक तिमाही (तीन माह) का स्वःहस्ताक्षरित छायाप्रति।		
5	पैन/टैन के निबंधन एवं विगत तीन वर्षों का (Assesment Year 2021-22, 2022-23 एवं 2023-2024) आयकर रिटर्न की स्वःहस्ताक्षरित छायाप्रति।		
6	वार्षिक टर्न ओवर विगत दो साल (रु० 20,00,000/- (बीस लाख) से अधिक प्रतिवर्ष) टर्न ओवर:-निविदा शर्त-8 के अनुसार		
7	होटल/रेस्टोरेन्ट संचालन में विगत दो वर्षों का कार्यानुभव निविदा शर्त-5 के अनुसार		
8	पहचान-पत्र तथा पता संबंधी प्रमाण-पत्र की स्वःहस्ताक्षरित छायाप्रति।		
9	फर्म के नाम पर निविदा समर्पित करने की स्थिति में निविदाकर्ता के		



	लिए फर्म का प्राधिकार-पत्र की मूलप्रति।		
10	सरकारी/गैर सरकारी संस्थान के काली सूची में निविदाकर्ता का नाम दर्ज होने/नहीं होने से संबंधित नोटरी से प्राप्त घोषणा-पत्र।		
11	आवेदक का चरित्र प्रमाण-पत्र (सरकार के निदेशानुसार)		
12	राजपत्रित पदाधिकारी द्वारा अभिप्रमाणित किये गये हस्ताक्षर का नमूना संलग्न		

नोट :- अनुलग्नक

- i. आयकर रिटर्न की प्रति।
- ii. 15,000/- (पंद्रह हजार) रुपये का बैंक ड्राफ्ट।
- iii. विगत दो सालों का होटल/रेस्टोरेन्ट संचालन में कार्यानुभव । (Experience certificate)
- iv. Balance Sheet showing annual turnover.
- v. जी.एस.टी (विभाग का निबंधन प्रमाण-पत्र एवं रिटर्न)
- vi. राजपत्रित पदाधिकारी द्वारा अभिप्रमाणित हस्ताक्षर का नमूना।
- vii. काली सूचि में नाम दर्ज न होने का प्रमाण पत्र ।

स्थान :

दिनांक:



निविदादाता का हस्ताक्षर

पूरा नाम -

पता-

मोबाईल नं०:-

ई-मेल:-

बिहार सरकार
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग
कार्यालय: वन प्रमंडल पदाधिकारी, नालन्दा वन प्रमंडल,
बिहारशरीफ।

इंटीग्रेटेड भवन में अवस्थित फुडकोट संचालन हेतु अल्पकालीन निविदा सूचना संख्या-16/2024-25 का वित्तीय निविदा फार्म

- 1 निविदादाता / फर्मों / रेस्तराँ संचालक का नाम एवं पूरा पता (ई-मेल, दूरभाष एवं मोबाईल नं० के साथ) :
- 2 निविदादाता / फर्मों / रेस्तराँ संचालक के प्रतिष्ठान का नाम एवं पूरा पता (ई-मेल, दूरभाष संख्या के साथ) :
- 3 फुडकोट उपयोग हेतु मासिक किराया दर –

क्र० सं०	फुडकोट (Food Court) का नाम	अर्पित किराया दर (प्रतिमाह)	अर्पित किराया दर प्रतिमाह (शब्दों में)
1			

आवश्यक सूचना :

1. उपरोक्त तालिका में केवल एक ही फुडकोट का विवरणी अंकित करेंगे। एक से अधिक फुडकोट का नाम अंकित करने के स्थिति में कम संख्या 01 में अंकित फुडकोट ही मान्य होगा।
2. वित्तीय निविदा का मूल्यांकन **फुडकोट (Food Court)** के लिए अर्पित दर में जो भी अधिकतम होगा के आधार पर तय किया जाएगा।
3. चयनित निविदादाता के द्वारा एक एकरारनामा हस्ताक्षरित करना होगा और उसमें दी गयी शर्तों का पालन करना होगा।
4. निविदादाता द्वारा निविदा में अर्पित दर अगर आर०पी० दर से कम होता है तो निविदादाता द्वारा समर्पित दर मान्य नहीं होगा एवं उन्हें आर०पी० दर पर फुडकोट का संचालन करना होगा।
5. एक ही फुडकोट के लिए, एक से अधिक निविदादाता द्वारा अर्पित दर सामान्य/बराबर होने की स्थिति में उक्त फुडकोट हेतु निविदादाता द्वारा अर्पित दर को अमान्य मानते हुए उसी समय निलामी के आधार पर निर्णय लिया जायेगा तथा अधिकतम राशि देने वाले निविदादाता को फुडकोट संचालन हेतु हस्तगत करने की कार्यवाई की जायेगी।

स्थान :

दिनांक:



निविदादाता का हस्ताक्षर

पूरा नाम –

बिहार सरकार

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग

कार्यालय: वन प्रमंडल पदाधिकारी, नालन्दा वन प्रमंडल, बिहारशरीफ
अल्पकालीन निविदा सूचना सं०-16/2024-25

**DECLARATION CUM UNDERTAKING FOR
NOT DEBARRING/BLACKLISTING**

मैं पिता का नाम

ग्राम : पोस्ट: थाना :

जिला : घोषणा करता हूँ कि मैंने

....(विभाग/कार्यालय का नाम) में

....दिनांक से अवधि तक के लिए दुकान/काउण्टर

संचालन का कार्य किया है/था तथा उस विभाग/कार्यालय अथवा किसी भी कार्य के लिए मुझे/मेरे

संस्थान को किसी सरकारी विभाग/कार्यालय द्वारा मुझे/मेरे संस्थान को कृष्णचिह्नित (Black Listed)

किया/नहीं किया गया है।



निविदादाता का नाम :

पूरा पता :

तिथि :

बिहार सरकार

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग

कार्यालय: वन प्रमंडल पदाधिकारी, नालन्दा वन प्रमंडल, बिहारशरीफ

अल्पकालीन निविदा सूचना सं०-16/2024-25

GAZETTED OFFICER ATTESTATION FORM**FOR TENDER SUBMISSION**

1. Tender Notice No.: _____

2. Date of Issue: _____

3. Name of Tenderer (Individual/Firm): _____

4. Tenderer's Address: _____
_____5. Signature of the Tenderer: _____
_____*(To be signed in the presence of the Gazetted Officer)*

6. Attestation by Gazetted Officer

I, the undersigned Gazetted Officer, hereby attest that the signature of the tenderer named above was signed in my presence and is verified for authenticity.

Gazetted Officer's Information:

- Name: _____
- Designation: _____
- Office Address: _____
- Contact Number: _____ Email ID (Official): _____

Signature of the Gazetted Officer: _____

Date: _____

7. Official Seal of the Gazetted Officer

(Please affix the official seal below)

_____